

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 378 सन 2020

अनवान :-

1. लिच्छीराम पुत्र गजानन्द जाति सोनी निवासी धानसिया तहसील नोहर हाल निवासी रातवसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 22/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 662/509 की कुल 1.6065 हैक में वादी का नाम लिच्छीराम व खाता संख्या 780/615 की कुल 40.6319 हैक में से 639-2/3 हिस्सा में लच्छीराम व खाता संख्या 532/107 की कुल 17.05222 हैक में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज कर रखा है

वादी का उक्त भूमियों में नाम राजस्व रिकार्ड में तीनों खातों में भिन्न भिन्न दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द है

सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लिच्छीराम, लच्छीराम व लक्ष्मीनारायण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर तीनों खातों में लिच्छीराम, लच्छीराम व लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिच्छीराम पुत्र गजानन्द संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 662/509 की कुल 1.6065 हैक में वादी का नाम लिच्छीराम व खाता संख्या 780/615 की कुल 40.6319 हैक में से 639-2/3 हिस्सा में लच्छीराम व खाता संख्या 532/107 की कुल 17.05222 हैक में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज कर रखा है

वादी का उक्त भूमियों में नाम राजस्व रिकार्ड में तीनों खातों में भिन्न भिन्न दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द है

सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

(2)

नाम लिच्छीराम पुत्र गजानन्द दर्ज हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लिच्छीराम, लच्छीराम व लक्ष्मीनारायण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर तीनों खातों में लिच्छीराम, लच्छीराम व लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिच्छीराम पुत्र गजानन्द संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 662/509 की कुल 1.6065 हैक में वादी का नाम लिच्छीराम व खाता संख्या 780/615 की कुल 40.6319 हैक में से 639-2/3 हिस्सा में लच्छीराम व खाता संख्या 532/107 की कुल 17.05222 हैक में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज कर रखा है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय लिच्छीराम पुत्र गजानन्द के स्थान पर लच्छीराम, लच्छीराम, लक्ष्मीनारायण दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम लिच्छीराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम लिच्छीराम होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 662/509 की कुल 1.6065 हैक व खाता संख्या 780/615 की कुल 40.6319 हैक में से 639-2/3 हिस्सा व खाता संख्या 532/107 की कुल 17.05222 हैक में वादी का नाम लिच्छीराम, लच्छीराम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिच्छीराम पुत्र गजानन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/2/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. लिच्छीराम पुत्र गजानन्द जाति सोनी निवासी धानसिया तहसील नोहर हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 378 सन 2017 निर्णय दिनांक- 22/2/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 662/509 की कुल 1.6065हैक् व खाता संख्या 780/615 की कुल 40.6319हैक् में से 639-2/3 हिस्सा व खाता संख्या 532/107 की कुल 17.05222हैक् में वादी का नाम लिच्छीराम, लच्छीराम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिच्छीराम पुत्र गजानन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/2/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)